न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

मांगरोल
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

[illegible] 38/2010

[illegible] पुत्र बद्रीलाल जाति मीणा निवासी नवलपुरा तहसील मांगरोल

....वादी

♠ बनाम ♠

1. निर्राज पुत्र
2. मुरारी पुत्र
3. रूपलीला पुत्री
4. गुड्डी पुत्री
5. निर्मला पुत्री
6. कल्याणी बेवा

} हीरालाल जातिगण धाकड निवासी रायथल तह0 मांगरोल जिला बारां

7. देवलाल पुत्र श्री गोपीलाल जाति धाकड निवासी रायथल तह0 मांगरोल
8. रामदयाल पुत्र श्री कन्हैयालाल उर्फ कान्हा जाति धाकड निवासी रायथल तह0 मांगरोल
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0टी0एक्ट0

दावा खातेदारी हक घोषणा चाहने बाबत्

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

वकील प्रतिवादीगण : श्री देवकीनन्दन गालव

निर्णय दिनांक : 29.10.2018

दायरा दिनांक: 19.04.2010

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम रायथल तह0 मांगरोल जिला बारां में सेटलमेंट से पूर्व खसरा नं0 869 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा प्रतिवादीगण के दादा स्व0 श्री किशोरीलाल उर्फ कजोड के खाते जमाबंदी सम्वत 2026 में दर्ज थी। तथा नामान्तरण संख्या 75 दिनांक 22.04.1967 को वादी के खातेदारी में दर्ज की गई थी। बन्दोबस्त के बाद खसरा नं0 869 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा के हाल खसरा नं0 27 रकबा 1.97 है0 जमाबंदी सं0 2065 में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है जिसे आगे वाद पत्र में विवादित आराजी के नाम से पुकारा गया है। वादी का कब्जा काश्त सन् 1955 से राजस्थान आर0टी0एक्ट0 लागू होने के समय से ही चला आ रहा है। वादी के पक्ष में खोला गया इंतकाल नं0 75 दिनांक 22.04.1967 की अपील प्रतिवादी कम 1 ता 5 के पिता द्वारा की गई जिसमें वादी का इन्तकाल खारिज कर दिया गया व कब्जा वादी को मानते हुए वादी को बेदखल नही करने के आदेश

[illegible] द्वारा दिनांक 26.07.1980 को दिया तथा इसी की अपील राजस्व मण्डल अजमेंर में की [illegible] निर्णय दिनांक 27.03.1987 के द्वारा आर0ए0ए0 कोटा का निर्णय बहाल कर कब्जा वादी का [illegible] किया। उक्त दोनो निर्णय के आदेश में कब्जा का वादी के पक्ष में होने के बाद प्रतिवादी कम 1 ता [illegible] पिता द्वारा जुलाई सन् 1972 से वादी का कब्जा स्वीकार कर बेदखली का वाद पेश किया जो खारिज [illegible] चुका है। इसके बाद प्रतिवादी के पिता हीरालाल द्वारा 188 आर0टी0एक्ट0 व 212 आर0टी0एक्ट0 दावा प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें पटवारी हल्का द्वारा 08.06.1988 की रिपोर्ट ली गई उसमें कब्जा वादी का साबित माना गया तथा 212 प्रार्थना पत्र दिनांक 23.08.1988 को खारिज हो चुका है तथा वाद पत्र में वादी ने काउन्टर क्लेम दिया था जिसमें न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के पिता हीरालाल द्वारा प्रस्तुत दावा 2/2/1993 को खारिज हो चुका है तथा वादी को अलग से वाद प्रस्तुत करने का अधिकार दिया था। न्यायालय एस0डी0ओ0 बारां द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 बउनवान हीरालाल बनाम माणकचंद ने 01.08.1989 को अप्रार्थी/वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला जारी की गई। इस प्रकार वादी के पक्ष में 183, 188 के दावे खारिज होने से प्रतिवादीगण के कानूनन अधिकार समाप्त हो चुके है तथा तहसीलदार मांगरोल ने भी 19.06.1997 को प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा लेने की कार्यवाही की जिसे तहसीलदार मांगरोल द्वारा खारिज कर दिया गया। इस प्रकार वादी प्रतिवादीगण की जानकारी व विरोध के बावजूद विवादित भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा जुलाई सन 1972 से वादी को भूमि पर एडवर्से पजेशन प्राप्त हो जाने के कारण स्वतः खातेदारी अधिकार मिल जाने के कारण यह वाद पत्र हक घोषणा हेतु पेश है। प्रतिवादीगण के पूर्वज द्वारा 183 आर0टी0एक्ट0 के प्रकरण में वाद कारण की तारीख जुलाई सन 1972 को अवैध कब्जा वादी का मानते हुए भूमि से बेदखली की कार्यवाही की थी। जो खारिज हो चुकी है तथा वर्तमान में वादी ने गेहूं की फसल बो रखी है। अतः निवेदन है कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर डिक्री पारित की जावें कि वादी का ग्राम रायथल तह0 मांगरोल की वर्तमान आराजी खसरा नं0 27 रकबा 1.97 है0 भूमि पर एडवर्स पजेशन कब्जा 12 वर्षो से अधिक होने से शांतिपूर्वक प्रतिवादीगण की जानकारी में होने के कारण खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण का नाम खाते से हटाया जावें तथा राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी कम 9 को आदेश दिया जावें व वादी के कब्जे काश्त की आराजी को प्रतिवादीगण रहन, बेचान व खुर्द–बुर्द नही करें तथा कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नही करें। ऐसा कार्य ना तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। जिसकी तामीली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादीगण ने तलबी के बाद भी 2010 से अपना जवाब दावा प्रस्तुत न करने पर एक लम्बी अवधि समाप्त हो जाने के बाद दिनांक 22.10.2018 को

[illegible] बंद किया जाकर वादीगण की साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 माणकचंद, पीडब्ल्यू 2 [illegible] 3 देवीशंकर के बयान लेख बद्ध करवाये गयें। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने निम्न [illegible]– प्रदर्श 1 :– जमाबंदी सम्वत 2034–2037, प्रदर्श 2 :– इंतकाल नं0 75 दिनांक [illegible] 3 :– निर्णय दिनांक 01.08.1989 उपजिला कलक्टर बारां, प्रदर्श 4 :– निर्णय दिनांक 29. [illegible] कलक्टर बारां धारा 145 सीआरपीसी, प्रदर्श 5 :– निर्णय दिनांक 26.07.1980 राजस्व [illegible] कोटा, प्रदर्श 6:– निर्णय दिनांक 27.03.1987 राजस्व मंडल अजमेंर, प्रदर्श 7:– नकल दावा [illegible] दिनांक 02.02.1993 न्यायालय एसीएम बारां, प्रदर्श 8 व 9:– दावा बउनवान हीरालाल बनाम [illegible] वगै0, प्रदर्श 10:– निर्णय दिनांक 25.08.1988 उपजिला कलक्टर बारां, प्रदर्श 11:– निर्णय [illegible] मांगरोल दिनांक 13.06.1997, प्रदर्श 12 ता 29:– रसीद कर्ता–पिलाई वादीगण, प्रदर्श 30 ता [illegible]:– खसरा गिरदावरी खसरा नं0 वादीगण कब्जा काश्त, प्रदर्श 13:– जमाबंदी ग्राम रायथल सम्वत [illegible]–2068।

वकील वादी की बहस सुनी गयी। प्रस्तुत समस्त राजस्व दस्तावेज, निर्णय अपीलीय न्यायालय व पूर्व न्यायालयों को ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। वकील वादी ने अपनी बहस में न्यायालय का ध्यान इं0 नं0 75 की ओर दिलाकर बहस में बताया कि इं0 नं0 75 के आखिरी कॉलम रिपोर्ट पटवारी में अंकित है कि साबिक खसरा नं0 869 रकबा 12 बीघा 4 बिस्वा ग्राम रायथल की आराजी पर वादी माणकचंद सन् 1954 से काबिज काश्त है आगे बहस में बताया कि तहसीलदार मांगरोल ने अपने आदेश दिनांक 22.04. 1967 में अंकन किया है कि दर्ज अन्य खातेदारों को भी माणकचंद के खाते दर्ज करने में कोई आपत्ति नही है, तत्पश्चात इं0 नं0 75 वादी के पक्ष में दर्ज किया गया है, इस प्रकार वादी टीनेन्सी एक्ट 1955 से पूर्व आराजी पर काबिज काश्त है।

आगे वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि निर्णय प्रदर्श 3 ता 6 व प्रदर्श 10 उपजिला कलक्टर बारां, प्रदर्श 11 तहसीलदार मांगरोल से एक दम स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण का कभी भी सन् 1954 के बाद आराजी पर कब्जा काश्त नही रहा है अर्थात वादी माणक चंद लगातार कब्जा काश्त में रहा है, ओर वर्तमान भी कब्जा काश्त में है, कब्जा काश्त की पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्य के अलावा गवाह पीडब्ल्यू 2 रामकिशन, पीडब्ल्यू 3 देवीशंकर की विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त बताते है।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाबदावा पेश नही हुआ है, वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज का खंडन नही हो पाया है। वकील वादी ने प्रदर्श 12 ता 29 रसीद कर्ता पिलाई व कब्जा काश्त का दस्तावेजी सबूत प्रदर्श 30 ता 36 खसरा गिरदावरी की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है तथा बहस में बतायाा कि वादी का कब्जा काश्त होने से ही वादी कर्ता–पिलाई आदि जमा करता चला आ रहा है,

[illegible] के द्वारा वादी को बेदखल किऐं जाने की प्रार्थना न्यायालय राजस्व मंडल अजमेंर व न्यायालय [illegible] अपील प्राधिकारी कोटा ने खारिज की जा चुकी है ऐसी स्थिति में वादी को खातेदार घोषित किऐं [illegible] कोई कानूनी बाधा नही है।

न्यायालय वकील वादी के तर्कों व प्रस्तुत दस्तावेज, न्यायिक निर्णय से सहमत है तथा उपरोक्त [illegible] व साक्ष्य की रोशनी में वादी को खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित समझता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि हाल खसरा नं0 27 रकबा 1.97 है0 वाके ग्राम रायथल तह0 मांगरोल की आराजी में से दर्ज नाम प्रतिवादीगण (गिरीराज, मुरारी पुत्र हीरालाल वगै0) का खारिज किया जाता है तथा वादी माणकचंद पुत्र बद्रीलाल को आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर खाते में नाम दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाता है। आदेशानुसार डिक्री बनाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।